## बिहार सरकार
## पथ निर्माण विभाग

**सकारण/मुखर आदेश**

संचिका संख्या–निग/सारा–4(पथ)–24/2017 1804(S) पटना, दिनाक 21/2/19

माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर सी0डब्लू0जे0सी0सं0–7871/ 2014 रघुनाथ प्रसाद बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक–16.08.18 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के कार्यशील अंश यथा **"Petitioner was entitled to be absent on account of his illness is an issue which has required to be considered by the authorities having due regard to the medical prescription issued by the Governement Tibiya College and the same cannot outrightly be rejected as there is no presumption that prescriptions issued by the said college are not to be relied upon and In the event such a review is filed, the Authority would be obliged to consider the petitioner's Plea"** के आलोक में दिनांक–21.12.2018 को आवेदक के समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी दिनांक–12.09. 2018 के संदर्भ में उनकी व्यक्तिगत सुनवाई की गयी।

2. श्री रघुनाथ प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, मुजफ्फरपुर क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध उक्त पदस्थापन काल में अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति तथा इस संबंध में स्पष्टीकरण का उत्तर समर्पित नहीं करने संबंधी आरोपों के लिए नगर विकास विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–10735–सहपठित ज्ञापांक–10736 दिनांक–06.08.08 द्वारा श्री प्रसाद को तात्कालिक प्रभाव से निलंबित किया गया।

3. उक्त निलंबनादेश के विरूद्ध श्री प्रसाद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर याचिका सी0डब्लू0जे0सी0सं0–1030/2009 में दिनांक–09.02.09 को पारित आदेश के अनुपालन में विभागीय अधिसूचना संख्या–6441–सहपठित ज्ञापांक–6442 दिनांक–16.06.09 द्वारा दिनांक–01.04.09 के प्रभाव से श्री प्रसाद के निलंबनादेश को वापस लिया गया।

4. श्री प्रसाद द्वारा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, उक्त अवधि को विनियमित करवाने हेतु तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, रा0उ0प0 अंचल, पूर्णियाँ से गलत ढंग से अनुशंसा करवाने तथा अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि के संबंध में विभाग को दिग्भ्रमित करने जैसे आरोपों के लिए श्री प्रसाद से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री प्रसाद से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा के उपरांत इसे असंतोषजनक पाते हुए उनके विरूद्ध प्रपत्र–''क'' में आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–11229(S)We दिनांक–08.10.2009 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

5. पुनः श्री प्रसाद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या–2313/2012 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में विभागीय आदेश ज्ञाप संख्या–11325 दिनांक–17.10.12 द्वारा निम्नवत निर्णय लिये गये :–

(i) श्री रघुनाथ प्रसाद के निलंबन तिथि 06.08.08 से 7 माह के उपरांत दिनांक–05.03.09 से दिनांक–31.03.09 तक पूर्ण वेतन (जीवन निर्वाह भत्ता के समायोजन के उपरांत अवशेष राशि) भुगतान की स्वीकृति दी गयी।

(ii) दिनांक–06.08.08 से दिनांक–04.03.09 तक की अवधि के संबंध में श्री प्रसाद के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

6. श्री प्रसाद के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के तहत अनुपूरक आरोप संख्या–1 को आंशिक रूप से प्रमाणित एवं शेष आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। तत्पश्चात प्रमाणित/अंशतः प्रमाणित आरोपों के संदर्भ में

श्री प्रसाद से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी एवं इस संबंध में विभिन्न पत्रों के माध्यम से स्मारित भी किया गया, परंतु श्री प्रसाद द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर समर्पित नहीं कर लगभग एक वर्ष तक अनावश्यक बातों का उल्लेख कर समय की मांग की जाती रही। अंततः श्री प्रसाद के विरूद्ध प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए निम्नवत अनुमोदित दंड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श/सहमति प्राप्त कर विभागीय अधिसूचना संख्या–4323 (एस)–सहपठित ज्ञापांक–4324 (एस) दिनांक–30.05.13 द्वारा निम्न दंड संसूचित किया गया :–

(i) कार्यपालक अभियंता के न्यूनतम प्रक्रम में अवनत।

(ii) श्री प्रसाद को शेष बचे पूरे सेवाकाल में अकार्य पद पर पदस्थापन।

(iii) श्री प्रसाद के निलंबन अवधि **दिनांक–06.08.08 से दिनांक–04.03.09 तक** के विनियमन के संबंध में नियमानुसार उनसे अलग से कारण पृच्छा कर निर्णय लिया जायेगा।

7. विभागीय अधिसूचना संख्या–7727 (एस) दिनांक–25.09.13 द्वारा श्री प्रसाद के निलंबन की अवधि दिनांक–06.08.08 से दिनांक–04.03.09 तक की अवधि के लिए द्वारा मात्र जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान, परन्तु अन्य प्रयोजनार्थ इसे कर्तव्य पर बितायी गयी अवधि के रूप में विनियमित किया गया।

8. सी0डब्लू0जे0सी0सं0–9623/2008 (रघुनाथ प्रसाद बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में दिनांक–07.08.15 को पारित आदेश के आलोक में श्री प्रसाद के पुनर्विचार संबंधी समर्पित अभ्यावेदन में नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किये जाने तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0डब्लू0जे0सी0सं0–7871/2014 के विचाराधीन रहने के कारण विभागीय सकारण आदेश ज्ञाप संख्या–5153 (एस) दिनांक–14.06.17 द्वारा उनके अभ्यावेदन को सम्यक् विचारोपरांत अस्वीकृत कर दिया गया।

9. श्री प्रसाद के द्वारा दायर सी0डब्लू0जे0सी0सं0–7871/ 2014 में दिनांक–16.08.18 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पारित आदेश एवं चिकित्सा अवकाश प्रमाण–पत्र के संदर्भ में गठित अभिमत (Observation) के आलोक में आवेदक के समर्पित पुनर्विचार आवेदन पर सुनवाई के दौरान उपलब्ध कराये गये तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर विश्लेषणोंपरांत पाया गया कि श्री प्रसाद के द्वारा अपनी अनाधिकृत अनुपस्थिति अवधि के संबंध में प्राचार्य, राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल, कदमकुआँ, पटना के संलग्न चिकित्सा प्रमाण पत्रों को बैध (valid) नहीं माने जाने का कोई युक्तिसंगत अवसर प्रतीत नहीं होता है, जिसके फलस्वरूप प्रासंगिक चिकित्सा प्रमाण–पत्रों के आधार पर उनकी चिकित्सा अवधि (08.08.2005 से दिनांक–15.12.2005) को मान्यता प्रदान करते हुए चिकित्सा अवकाश के रूप में विनियमित करने का निर्णय लिया जाता है।

10. जहाँ तक श्री प्रसाद के विरूद्ध गठित मूल आरोपो एवं अनुपूरक आरोप– जिसे संचालित विभागीय कार्यवाही में क्रमशः पूर्ण रूप से प्रमाणित एवं आंशिक रूप से प्रमाणित पाये गये है–के परिप्रेक्ष्य में सम्यक रूप से निर्णय लिये जाने का प्रश्न है तो संलग्न तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर मामले की समीक्षा के उपरांत श्री प्रसाद जिनकी सेवा तत्समय वाह्य सेवा के रूप में नगर विकास एवं आवास विभाग, (मुजफ्फरपुर क्षेत्रीय विकास प्राधिकार) के अधीन थी–के द्वारा आकस्मिक अवकाश का विस्तार कर उपार्जित अवकाश का उपभोग करने एवं वर्णित अवकाश मुजफ्फरपुर क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के पदस्थापन काल से संबंधित होने के तथ्य को छुपाकर अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, पूर्णियाँ को तत्संबंधी अवकाश की स्वीकृति हेतु अनुरोध करना, उक्त अवधि का वेतन भुगतान प्राप्त करने, अनाधिकृत अनुपस्थिति से लौटने के उपरांत अपने पदस्थापित स्थान पर योगदान नहीं कर अपने पैतृक विभाग (पथ निर्माण विभाग) में सीधे योगदान करने सहित पटना से मुजफ्फरपुर प्रतिदिन आने–जाने संबंधी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए इस निष्कर्ष पर पहुचाँ गया कि श्री प्रसाद के द्वारा कार्यालय कार्य दायित्वों का निर्वहन करने में तत्समय चूक एवं अनिमियतता अवश्य बरती गई है।

परन्तु यह भी कि गठित आरोपो के संदर्भ में प्रथमद्रष्टया श्री प्रसाद के विरूद्ध संसूचित वृहत दंडादेश समानुपातिक न होकर अतिशय प्रकृति (Harsh and Excessive Nature) का प्रतीत होता है। अतएव प्रमाणित आरोपों के विरूद्ध श्री प्रसाद के द्वारा कार्यालय कार्य दायित्वों के निर्वहन में बरती गयी लापरवाही एवं चूक के समानुपातिक दायित्व को दृष्टिपथ में रखते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या–4323(S)–सहपठित ज्ञापांक–4324(S) दिनांक–30.05.2013 द्वारा निर्गत दंडादेश को इस हद तक लघुदण्ड के रूप में पुनरीक्षित करने का निर्णय लिया जाता है:–

(i) दो वार्षिक वेतन वृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

(ii) चूँकि श्री प्रसाद को पूर्ण रूप से दोषमुक्त करने का अवसर प्रतीत नहीं होता है। अतएव विभागीय अधिसूचना संख्या–7727 (एस) दिनांक–25.09.13 द्वारा श्री प्रसाद के निलंबन अवधि (दिनांक–06.08.08 से दिनांक–04.03.09 तक) के लिए द्वारा मात्र जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान, परन्तु अन्य प्रयोजनार्थ इसे कर्तव्य पर बितायी गयी अवधि के रूप में विनियमित किये जाने संबंधी निर्णय को यथावत रखा जाता है।

ह०/–
(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 1804(s) पटना, दिनांक :– 21/2/19

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना /महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/02/19
सरकार के उप सचिव (निगरानी),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 1804(s) पटना, दिनांक :– 21/2/19

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग बिहार, पटना/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार (यातायात) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/ मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (यातायात) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना /मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य अभियंता, (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, दरभंगा/ उप सचिव (निगरानी), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव (प्र०को०) पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना /अवर सचिव, मुख्यालय/लेखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1/2/3/6/13/14, एवं लेखा शाखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं श्री रघुनाथ प्रसाद, अधीक्षण अभियंता के तकनीकी सलाहकार, सेतु निरूपण अंचल, पथ निर्माण विभाग पटना सम्प्रतिः प्रतिनियुक्त– मुख्य अभियंता, (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधित

18/02/19
सरकार के उप सचिव (निगरानी),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 1804(s) पटना, दिनांक :– 21/2/19

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

18/02/19
सरकार के उप सचिव (निगरानी),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।